



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 10.12.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 05 मामलों में कुल 08 अभियुक्तों को 19000/ रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विक्शन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 05 मामलों में कुल 08 अभियुक्तों को 19000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना जसपुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-12/11 धारा 323/504/506 भादवि के अभियुक्तगण 1. रामरतन पुत्र बाबूलाल 2. सुनिता पत्नी रामरतन निवासी जसपुरा थाना जसपुरा जनपद बांदा को कुल 4000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
2. थाना तिन्दवारी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-(एनसीआर)45/21 धारा 323/504 भादवि के अभियुक्तगण 1. शिवचरन पुत्र भगवानदास 2. मनु देवी पत्नी शिवचरन 3. कुसुम पुत्री शिवचरन निवासीगण कस्बा कबरई थाना कबरई जनपद महोबा को कुल 3000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
3. थाना तिन्दवारी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-66/23 धारा 60 आबकारी अधि0 के अभियुक्त विनोद कुमार पुत्र दर्शन निवासी कस्बा तिन्दवारी थाना तिन्दवारी जनपद बांदा को 5000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
4. थाना तिन्दवारी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-310/23 धारा 60 आबकारी अधि0 के अभियुक्त विनय पुत्र बृजेन्द्र निवासी मूंगुस थाना तिन्दवारी जनपद बांदा को 5000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
5. थाना बिसन्डा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-45/16 धारा 279/338 भादवि के अभियुक्त राकेश पुत्र भगवानदीन निवासी थाना बिसन्डा जनपद बांदा को 2000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।